



समक्षः न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.

(132)

निगरानी - 4462/2018/भोपाल/अ०.२५.

प्रकरण कंमाक ...

मानोबाई यादव पत्नि मुन्नालाल यादव आयु - 50 वर्ष

निवासी - ग्राम लाउखेडी तहसील हूजूर जिला भोपाल म.प्र आवेदक

१. श्रीमान्
दब ब्राह्म

विरुद्ध

- प्रत्यक्ष
२५
पुस्तक
४
ठार०।४
1. प्रदीप दुबे आत्मज राम दुबे आयु - 50 वर्ष लगभग
 2. संजीव दुबे आत्मज राम दुबे - 45 वर्ष लगभग
 - निवासीगण - पंचवटी कालोनी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल
 3. मैथ्यू सेमुअल आत्मज सेमुअल मथाई आयु - 40 लगभग
 - निवासी - टी.टी. नगर भोपाल म.प्र.

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू - राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 05.06.2017 एंव सम्पूर्ण सीमाकांन प्रकरण संबंधी प्रक्रिया पारित द्वारा नयाब तहसीलदार महोदय वृत्त - 01 अंतर्गत प्रकरण कंमाक 67/अ-12/2016-2017 मानो बाई विरुद्ध प्रदीप दुबे व अन्य।

आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

1. यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक एक अनपढ महिला है और केवल हस्ताक्षर करना जानती हैं और मूल रूप से ग्राम लाउखेडी तहसील हूजूर जिला भोपाल की निवासी है। आवेदक के स्वत्व और स्वामित्व की भूमि ग्राम डोबरा खसरा कंमाक - 198 रकबा 1.260 हैक्टयर तथा खसरा कंमाक - 201 रकबा 1.080 हैक्टयर तहसील हूजूर जिला भोपाल में स्थित है। जिसे आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्य पत्र के माध्यम से क्य किया गया था।
2. यह कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का सीमाकांन के लिये आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में दिनांक 10.06.14 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रकरण कंमाक - 118/अ-12/13-14 पंजीबद्ध किया जाकर तथा समर्त पडोसियो को सूचना पत्र तामिल की उपरात सीमाकांन दिनांक 27.06.2014 को किया गया था। जिसमें आवेदक के स्वामित्व की भूमि पर सीमाकांन टोटल स्टेशन मशीन के माध्यम से किया गया था। जिसमें आवेदक के स्वामित्व की भूमि खसरा कंमाक 198 कुल रकबा 1.080 हैक्टयर में से रकबा 0.028 हैक्टयर भूमि पर आवेदक कंमाक - 01 व 02 आवेदक के पडोसी कषक प्रदीप दबे एंव संजीव

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4462/2018/भोपाल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-2-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री दीपक सिंह, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें अवधि विधान की धारा 5 व ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 5-6-17 के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 28-6-18 को लगभग एक वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जबकि आवेदिका को प्रश्नाधीन आदेश की सत्यप्रतिलिपि भी दिनांक 1-11-17 को मिल गई थी । उसके बाद भी निगरानी दायर करने के लिए अत्यधिक विलम्ब किया गया है । आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के संबंध में बताये गये कारण समाधानकारक नहीं हैं, अतः विलम्ब माफ किए जाने योग्य नहीं हैं । न्याय वृष्टान्त 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरुद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नतिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है- पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।"</p> <p>माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय वृष्टान्त के प्रकाश में यह निगरानी प्रथम वृष्टया समयावधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;">02-3 अध्यक्ष</p> <p><i>[Signature]</i> क्रमांक ४३२</p>	